

राजस्थानसरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक:- एफ.2(ग)/अतिरिक्त कार्य/अलेसे-1/500-507

दिनांक :- 19.06.2025

आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

क्र.स.	लिंक न.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	9382	संदीप भारद्वाज, सलेअ-।	आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	संयुक्त रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर	मांग के आधार पर
2.	9314	अनिल कुमार, सलेअ-।	कोषालय, बालोतरा	नगर विकास न्यास, बालोतरा	जिला कलेक्टर, बालोतरा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2554 दिनांक 05.06.2025 के द्वारा दिए गए अतिरिक्त कार्य का अनुमोदन।
3.	4305	अनिल कुमार विजय, सलेअ-।	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, दौसा	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, दौसा	जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 9232 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा दिए गए अतिरिक्त कार्य का अनुमोदन।

श्री मधुसूदन शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड-। कार्यालय निदेशालय, कोष एवं लेखा राज. जयपुर को अपने कार्य के साथ-साथ संयुक्त रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर तथा श्री दयाराम, सलेअ-। कार्यालय उपकोषालय छोटीसादड़ी (प्रतापगढ़) को अपने कार्य के साथ-साथ, विकास अधिकारी पंचायत समिति, छोटीसादड़ी (प्रतापगढ़) का दिया गया अतिरिक्त कार्य निरस्त किया जाता है।

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.2(ग)/अतिरिक्त कार्य/अलेसे-1/500-507

दिनांक :- 19.06.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
- 3 उपनिदेशक(एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 श्री.....सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के क्रम में तुरंत अतिरिक्त कार्य हेतु कार्यग्रहण कर इस विभाग को अविलंब अवगत करावे।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।)